जी. रमेश बनाम कनिके हरीश कुमार उज्ज्वल एवं अन्य।
(फौजदारी अपील सं0–603/2019)
दिनांक 05–04–2019
(न्यायमूर्ति–श्री डी.वाई चन्द्रचूड़ और हेमन्त गुप्ता, जे.जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 482–एस. 138 एनआई अधिनियम के तहत दायर शिकायत को रद्द करना–अपीलकर्ता का मामला–शिकायतकर्ता यह था कि साझेदारी फर्म जिसमें पहली प्रतिवादी एक भागीदार थी, ने डेटा प्रविष्टि के लिए अनुबंध प्राप्त किए थे, जो प्रतिवादी को डेटा प्रविष्टि का काम सौंपने के लिए धरोहर राशि जमा करने पर शिकायतकर्ता को अनुबंधित किया गया–डेटा प्रविष्टि का काम पूरा होने के बाद, अभियुक्त ने दो चेक जारी किए, जो प्रस्तुति पर धन की अपर्याप्तता के कारण अनादरित हुए।
इसके बाद, प्रबंध भागीदार द्वारा दो और चेक जारी किए गए, जिन्हें फिर से अवैतनिक लौटा दिया गया–शिकायत को धारा 138 एन0आई0 अधिनियम के तहत दायर किया गया–उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया–शिकायतकर्ता द्वारा अपील–अपील में विचार के लिए प्रश्न था कि क्या शिकायत में पर्याप्त दावे थे धारा 141 (1) एन0आई अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धारा 141 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, अभिव्यक्ति "कंपनी" को किसी भी निकाय कॉर्पोरेट और एक फर्म या अन्य सहयोगी को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। धारा 141 का उप–खंड (1) यह बताता है कि जहां एक कंपनी द्वारा एस. 138 के तहत अपराध किया जाता है, कंपनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय, प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार था, को अपराध का दोषी माना जाएगा– विचार के लिए प्रश्न था कि क्या पर्याप्त थे शिकायत में औसतन धारा 141 (1) एनआई अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धारा 141 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, अभिव्यक्ति "कंपनी" को किसी भी निकाय कॉर्पोरेट और एक फर्म या अन्य सहयोगी को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। व्यक्तियों पर धारा 141 का उप–खंड (1) यह बताता है कि जहां एक कंपनी द्वारा धारा 138 के तहत अपराध किया जाता है, कंपनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय अपराध किया गया था, प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार था, को अपराध का दोषी माना जाएगा वर्तमान मामले में, शिकायत में साझेदारी की प्रकृति, जिस व्यवसाय को किया जा रहा था और विशेष रूप से प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका और शिकायतकर्ता के साथ हुए लेन देन का विवरण था। औसतन हर जगह, अभियुक्तों को बहुवचन अर्थों में संदर्भित किया गया था–इसके अलावा, प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका उनमें से प्रश्न में अनुबंध से उत्पन्न लेनदेन के संबंध में, जो अंततः अनादरण का कारण बना और स्पष्ट किया गया था। औसतन धारा 141 (1) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे-तथ्य यह है कि पहला अभियुक्त एक साझेदारी फर्म था जिसमें शेष दो अभियुक्त उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिये गये थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय पहली प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत को रद्द करने में त्रुटि थी-निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881-एसएस. 138 और 141। अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा -शिकायत में इस तथ्य की पुनरावृत्ति है कि धन की अपर्याप्तता के लिए चेक का पहला सेट वापस कर दिया गया था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि चेक के दूसरे सेट के अनादरित होने के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि उन्हें जुलाई 2011 के महीने में पुनः प्रस्तुत करने पर आदरित किया जाएगा। धारा 141 (1) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कथन पर्याप्त हैं। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि पहला आरोपी एक कंपनी थी जिसमें अन्य दो ऐसी निर्देशक थे। धारा 141 निस्संदेह अभिव्यक्ति "कंपनी" का उपयोग करता है ताकि व्यक्तियों की एक फर्म या संघ को शामिल किया जा सके। तथ्य यह है कि पहले आरोपी, वर्तमान मामले में, एक साझेदारी फर्म है जिसमें शेष दो आरोपी भागीदार हैं

जो उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं।गनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनु मेहता और अन्य (2015) 1 एससीसी 103: [2014] 10 एससीआर 1117-पर निर्भर केस लॉ संदर्भ [2014] 10 एससीआर 1117 पैरा 7 पर निर्भर क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील नं। 2019 का 603। तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.06.2018 से आपराधिक याचिका सं। 2014 का 5301।
सुश्री भाभना दास, कृष्ण देव जगरलामुडी, अपीलार्थी के अधिवक्ता। अभिमन्यु भंडारी, सुश्री आकृति चौबे, सुश्री रुहीना दुआ, कुंवर आदित्य सिंह, एजाज मकबूल, एस। उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा आज्ञा दी गई। यह अपील हैदराबाद में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 13 जून 2018 के एक फैसले से उत्पन्न हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा स्थापित याचिका की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय ने प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

अपीलकर्ता शिकायतकर्ता है। पहला आरोपी वेंक्युअर कॉरपोरेट सर्विसेज के नाम से एक साझेदारी फर्म है। तीसरा आरोपी मैनेजिंग पार्टनर है। पहली प्रतिवादी, जिसे दूसरे आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, फर्म का एक भागीदार है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि साझेदारी फर्म डेटा प्रविष्टि कार्य में काम कर रही थी। डेटा प्रविष्टि के लिए अनुबंध प्राप्त करने के बाद, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए फर्म द्वारा उप-अनुबंध दर्ज किए गए थे। शिकायत के पैराग्राफ 1 से 7 वर्तमान मामले में विवाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और नीचे दिए गए हैं-
1-" कि आरोपी नं 3 प्रबंध निदेशक है और आरोपी नं 2 मैसर्स वैनक्यूर कारपोरेट सर्विसेज के भागीदारों में से एक है और डेटा एंट्री का काम करते हैं। वे डेटा प्रविष्टि के अनुबंध लेते थे और उक्त असाइनमेंट को पूरा करने के लिए दूसरों को उप अनुबंध देते थे।
2- आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अगस्त 2010 के महीने में 1,00,000/- रुपये की धरोहर राशि जमा करके उप-अनुबंध दिया था जो दो चेकों के माध्यम से भुगतान की गई थी। 30.08.2010 को आईएनजी वैश्य बैंक में उनके खाता सं0-304011014832 में जमा कर दिये गये। इसके बाद, उन्होंने शिकायतकर्ता को सितंबर 2010 से दिसंबर 2010 तक डेटा प्रविष्टि का काम सौंपा है। "आपराधिक याचिका सं-5301/2014 "सीआरपीसी" आपराधिक एम. पी. नं। 2014 के 295 में सी. सी. नं। 2012 का 751 "द एक्ट" शिकायतकर्ता ने समझौते की शर्तों के अनुसार 8,50,000 रुपये चार महीने के लिए डेटा प्रविष्टि का काम किया। उन्होंने सितंबर 2010 के काम के लिये एक्सिस बैंक हैदराबाद पर दो लाख रूपये का चैक नं0 929605 दिनांकित 01-11-2010 जारी किया और अक्टूबर के काम के लिये चैक नं0-929620 दिनांकित 18-12-2010 जारी किया।
शिकायतकर्ता ने उनके बैंक यानी एचडीएफसी, महबूबनगर के माध्यम से संग्रह के लिए दो चेक प्रस्तुत किये अभियुक्त के बैंक खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक अवैतनिक लौटाए गए थे। चेक की वापसी के उक्त तथ्य को अभियुक्तों को सूचित किया गया था और अनुरोध किया गया कि वे नवंबर और दिसंबर तक की राशि के साथ चैक की राशि का भी भुगतान करें।

उस पर अभियुक्त नं02 ने उनके खाता सं0- 10141560000576 से शिकायतकर्ता के एच.डी.एफ.सी बैंक महबूबनगर के खाता सं0-10141070007111 में 1,00,000/-रूपये दिनांक 08-02-2011 व 10-02-2011 को अन्तरित किये। उन्होंने शिकायतकर्ता को कम समय के भीतर शेष राशि का भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। जैसा कि आरोपी नं। 2 शिकायतकर्ता के बहनोई का बेटा है, उसने उन पर विश्वास किया और कुछ समय के लिए मामला शान्त रहा। जैसा कि उन्होंने राशियों के भुगतान में चूक की है, शिकायतकर्ता ने जनवरी 2011 से काम जारी नहीं रख सका, क्योंकि उनके पास अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे।

रुपये की शेष राशि के भुगतान के लिए बार-बार मांग के बाद। 7,50,000 पूर्ण कार्य की ओर और रु। 1,00,000 सावधानी जमा की ओर, आरोपी नं 3 ने क्रमशः 929675 और 929676 दिनांकित 30.05.2011 और 19.07.2011 जारी किये। अतः 2,00,000/-रूपये एक्सिस बैंक लि0 हैदराबाद में दैय राशि के आंशिक भुगतान की ओर कम समय के भीतर शेष राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि चेक नं 929675 लेकिन 30.05.2011 को उनके बैंक खाते में अपर्याप्त धन के कारण उन्हें अवैतनिक लौटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोपियों को चेक की वापसी के बारे में सूचित किया और उन्होंने जुलाई 2011 के महीने में फिर से प्रस्तुति पर दोनों चेक का आदरित होने का आश्वासन दिया। उनके अनुरोध के अनुसार, शिकायतकर्ता ने चेक सं-929675 और 929676 बैंक में पुन प्रस्तुत किये लेकिन दोनों चेक फिर से बैंक खाते में अपर्याप्त धन होने के कारण दिनांक 14.07.2011 और 20.07.2011 को अवैतनिक लौटाए गये। तब से शिकायतकर्ता को सूचित करने के लिए और पूरी चेक राशि के भुगतान के लिए आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता से परहेज किया। शिकायत के पैराग्राफ 8 में कथन है कि 1 अगस्त 2011 को चेक के अनादर के 30 दिनों के भीतर मांग का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया था।

5. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महबूबनगर के समक्ष 19 सितंबर 2011 को शिकायत की स्थापना की गई थी। पहली प्रतिवादी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए क्योंकि वह कार्यवाही में उपस्थित होने में विफल रहा। वारंट वापस बुला लिए गए। पहली प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही शुरू की। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया।

6. उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायत के पैराग्राफ 5 में निहित कथन धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहली प्रतिवादी पर आपराधिक दायित्व को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण है जो वर्तमान अपील में विचार के लिए आता है।

7. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री भावना दास का कहना है कि उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज करने में गलती की थी। गुनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनु मेहता और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के अलावा विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में निहित कथन धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

8. दूसरी ओर पहले प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्यु भंडारी का कहना है कि धारा 141 (1) के तहत, जहाँ अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी के प्रभारी थे और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिये जिम्मेदार थे, कंपनी के साथ-साथ कम्पनी के अपराध में दोषी माने जायेंगे।

प्रस्तुत यह है कि शिकायत में कोई कथन नहीं था कि पहला प्रतिवादी प्रभारी था और व्यवसाय के संचालन के लिए "कंपनी" के लिए जिम्मेदार था। पहले प्रतिवादी का बचाव यह है कि, वह कुवैत में रहता है जहाँ वह नेशनल बैंक ऑफ़ कुवैत के साथ कार्यरत है। इसलिए, साझेदारी फर्म के मामलों के साथ उसका दिन-प्रतिदिन कोई संबंध नहीं है। इन परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया इसलिये इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।

धारा 141 (1) इस प्रकार प्रदान करता हैः-" यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के प्रभारी थे और कंपनी के व्ययवसाय के संचालन के लिये जिम्मेदार थे कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ कंपनी के आचरण को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसके अनुसार दंडित किया जाएगाः बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था, या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया थाः [आगे कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को किसी भी पद के आधार पर कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित वित्तीय निगम में रोजगार, जैसा भी मामला हो, वह इस च के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उप-धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या सहमति के साथ किया गया है, या इसके लिए जिम्मेदार है, किसी भी उपेक्षा के लिए, किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। अनुभाग का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में हैः-
स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए -
(ए) "कंपनी" का अर्थ किसी भी निकाय कॉर्पोरेट से है और इसमें एक फर्म या शामिल है व्यक्तियों के अन्य संघ; तथा (बी)"निदेशक", एक फर्म के संबंध में, फर्म में एक भागीदार का मतलब है।

धारा 141 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, अभिव्यक्ति "कंपनी" को किसी भी निकाय कॉर्पोरेट और किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। धारा 141 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि जहां एक कंपनी द्वारा धारा 138 के तहत अपराध किया जाता है, कंपनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के समय प्रभारी थे और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे कंपनी के अपराध मे दोषी माना जाएगा।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उपरोक्त प्रावधान की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक साझेदारी फर्म में शामिल भागीदारों को निरूपित करने के लिए सारगर्भित अभिव्यक्ति है। स्पष्टीकरण (ए) में काल्पनिक रूप से कंपनी को एक फर्म को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। मुद्दा यह है कि क्या धारा 141 (1) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकायत में पर्याप्त दावे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे शिकायत के पढ़ने पर निर्धारित किया जाना है। शिकायत में दावों से, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि साझेदारी फर्म जिसमें पहले प्रतिवादी एक भागीदार है, ने डेटा प्रविष्टि के लिये अनुबंध प्राप्त किया था, जो शिकायतकर्ता को उप-अनुबंध किया जा रहा था। आरोपियों पर आरोप है कि

उन्होंने 1,00,00/- रुपये की धरोहर राशि जमा की है और शिकायतकर्ता को डेटा प्रविष्टि का काम सौंपा है। डेटा प्रविष्टि का काम पूरा करने के बाद, आरोपी ने क्रमशः 2,00,000 रुपये और 2,50,000 रुपये की राशि के लिए 1 नवंबर 2010 और 18 दिसंबर 2010 को दो चेक जारी किए। प्रस्तुति पर, धन की अपर्याप्तता के कारण चेक वापस कर दिए गए थे। इसके बाद यह आरोप लगाया गया कि पहले प्रतिवादी ने 8 फरवरी 2011 और 10 फरवरी 2011 को अपने खाते से 1,00,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की है। शिकायत में शामिल हैं कि विवाद से दोनों पक्ष संबंधित हैं। इसके बाद, प्रबंध भागीदार द्वारा 30 मई 2011 और 19 जुलाई 2011 को 2,00,000 रुपये की राशि में दो और चेक जारी किए गए।धन की अपर्याप्तता के कारण चेक अवैतनिक रूप से लौटाए जाने के बाद, शिकायतकर्ता उन अभियुक्तों को सूचित किया और अभियुक्तों ने उसे आश्वासन दिया कि दोनों चेक जुलाई 2011 के महीने में फिर से प्रस्तुतिकरण पर आदरित किए जाएंगे। प्रस्तुत यह है कि उपरोक्त औसतन धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, इस तथ्य के संबंध में कि पहला अभियुक्त एक साझेदारी फर्म है। कानून के इस निकाय पर लागू होने वाले सामान्य सिद्धांतों को रखते हुए, गनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ आयोजित की गई जिसने निम्न टिप्पणी की-

जब किसी दिए गए मामले में, प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की जाती है, तो शिकायत के समग्र पढ़ने पर, उच्च न्यायालय यह पा सकता है कि मूल औसत पर्याप्त है, कि यह निदेशक के खिलाफ एक मामला बनाता है; यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि निदेशक के खिलाफ आरोप का मूल आधार मूल औसत को अपर्याप्त करने के लिए नष्ट कर दिया गया है और चूंकि उसके खिलाफ अपराध किया गया है, इसलिए परीक्षण में उसकी आगे की भूमिका को सामने लाया जा सकता है। एक अन्य मामले में, उच्च न्यायालय मूल औसत के बावजूद शिकायत को समाप्त कर सकता है। यह कुछ अकल्पनीय साक्ष्य या स्वीकार्य परिस्थितियों में आ सकता है जो इसकी राय में एक निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि निदेशक प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कभी भी जिम्मेदार और जिम्मेदार नहीं हो सकता था और इसलिए उसे खड़ा करना परीक्षण अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं किया जाता है।

जब मूलवाद प्रक्रिया को देखते हुए जारी किया जाता है कि शिकायत निदेशकों के खिलाफ आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन, अगर कोई निदेशक प्रक्रिया को रद्द कराना चाहता है तो वह धारा 482 के तहत याचिका दाखिल कर सकते हैं कि शिकायत में आधारहीन आरोप लगाए गये हैं और उन निर्देशकों का वास्तव में चैक जारी करने से कोई संबंध नहीं है। अतः उच्च न्यायालय को आश्वसत करने के लिये उसे कोई ऐसा ठोस अविवादित तत्व पेश करना होगा या अपने तर्क को सिद्ध करने के लिये स्वीकार्य परिस्थिति पेश करनी होगी जो उसके विवाद को पुष्टि प्रदान करे।

उसे एक मामला बनाना चाहिए कि उसे मुकदमे में खड़ा करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। वह शिकायत को केवल इस आधार पर समाप्त नहीं कर सकता है कि इसके अलावा शिकायत में उसकी भूमिका के बारे में कुछ भी उल्लेखित नहीं है क्योंकि आम तौर पर तर्क यह होगा कि परीक्षण के दौरान उसकी भूमिका सामने लाई जा सकती है और यह तर्क उसे परीक्षण पर भेजने के लिये पर्याप्त है।

एक शिकायत को रद्द करना एक गंभीर मामला है। पूछने के लिए शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है। एक शिकायत को खारिज करते हुए यह दिखाया जाना आवश्यक है कि निदेशक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में, ऊपर दी गई शिकायत के प्राशंगिक मदों से स्पष्ट है कि शिकायत में (1) साझेदारी की प्रकृति का पर्याप्त विवरण शामिल है; (2) जिस व्यवसाय को चलाया जा रहा था; (3) व्यवसाय के संचालन में प्रत्येक

अभियुक्त की भूमिका और, विशेष रूप से, शिकायतकर्ता के साथ हुए लेनदेन के संबंध में कथन, अभियुक्तों को बहुवचन अर्थों में संदर्भित किया गया है। इसके अलावा, प्रश्न में अनुबंध से उत्पन्न लेनदेन के संबंध में उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका, जो अंततः चेक के अनादर का कारण बनी, को समाप्त कर दिया गया है। शिकायत में इस तथ्य की पुनरावृत्ति है कि धन की अपर्याप्तता के कारण चेक का पहला सेट वापस कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि पहली प्रतिवादी ने 8 फरवरी 2011 और 10 फरवरी 2011 को 1,00,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि चेक के दूसरे सेट के अनादरित होने के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि उन्हें जुलाई 2011 के महीने में फिर से प्रस्तुत करने पर आदरित किया जाएगा। अतः धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तत्व पर्याप्त हैं। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि पहला आरोपी एक कंपनी थी जिसमें अन्य दो आरोपी निदेशक थे। धारा 141 निस्संदेह अभिव्यक्ति "कंपनी" का उपयोग करता है ताकि व्यक्तियों की एक फर्म या संघ को शामिल किया जा सके। तथ्य यह है कि पहले आरोपी, वर्तमान मामले में, एक साझेदारी फर्म है जिसमें शेष दो आरोपी भागीदार हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं। जैसा कि यह हो सकता है, ऊपर दिए गए कारणों के लिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय पहले प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने में त्रुटि में था। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 13 जून 2018 को उच्च न्यायालय के लगाए गए निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं।

इस स्तर पर, श्री अभिमन्यु भंडारी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पहले प्रतिवादी को परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश होने से छूट दी जा सकती है। अतः न्यायालय इसे पहले प्रतिवादी की इच्छा पर छोडती है कि वे विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिस पर विधि अनुसार विचार किया जायेगा।

देविका गुजराल को अपील की अनुमति दी जाती है।

Vetted by Piyush Moolchandani

Civil Judge (J . D .), Outlying Court Gunnaur

District Sambhal At Chandausi .